प्रथम अपीलीय अधिकारी (जिला कलेक्टर) जालोर

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
राजू सुथार पुत्र श्री घीसालालजी सुथार नजदीक बन वे रोड मानपुरा जालोर		राज्य लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आहोर
प्रकरण अपील		/2019
कम्प्यूटर आई.डी		2019/

अपील अर्न्तगत धारा 19(1)सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

14.05.2019	अपीलांट ने यह अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध प्रस्तुत की है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को अपील की प्रति भेजते हुये जवाब प्राप्त किया जावे व जवाब की प्रति अपीलांट को भी रजिस्टर्ड डाक से भेजने हेतु लिखा जावे। पत्रावली 30.05.2019 को जवाव/बहस हेतु पेश हो। प्रथम अपीलीय अधिकारी (जिला कलेक्टर) जालोर	
30.05.2019	अपीलांट व रेस्पोडेन्ट अनुपस्थित। राज्य लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) आहोर का जवाब डाक से प्राप्त हुआ। राज्य लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार आहोर) ने जवाब दिनांक 15.05.2019 द्वारा व्यक्त किया कि अपीलांट का सूचना के अधिकार अधिनियम का आवेदन पत्र दिनांक 19.03.2019 के कम में आवेदित सूचना पूर्व में ही कार्यालय के पत्रांक/01 दिनांक 01.01.2019 द्वारा दिनांक 18.01.2019 को अपीलांट को भिजवाई गई। सूचना के अधिकार अधिनियम में कार्यालय में उपलब्ध सूचना ही उपलब्ध करवाई जाती है। अत: अपीलांट की अपील खारिज की जावे। राज्य लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार,आहोर) के द्वारा प्रस्तुत जवाब व कथन पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा चाही सूचना के संबध में तहसीलदार आहोर के कार्यालय में उपलब्ध सूचना अपीलांट को जरिए पत्रांक/01 दिनांक 01.01.2019 द्वारा दिनांक 18.01.2019 को अपीलांट को भिजवाई जाना पाया जाता है। अत: उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपीलांट की अपील अस्वीकार की जाती है। अपीलांट को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वह इस निर्णय से असंतुष्ट है तो इस आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग जयपुर के समक्ष की जा सकती है। प्रथम अपीलीय अधिकारी (जिला कलेक्टर) जालोर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Soni
Date: 2019.12.09 16:37:10 IST
Reason: SelfAttested